

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र।7196/22/वि-12/ग्रासविप्रा./2022

भोपाल दिनांक 7 /12/2022

कोटेशन सूचना

म0प्र0ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय कार्यालय में निम्नलिखित अपलेखित सामग्री विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 15.12.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक ख्याति प्राप्त एजेंसियों से मुहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाने है। उच्चतम दरे प्रस्तुत करने वाले एजेन्सी को सामग्री प्रदाय की जावेगी। उक्त कोटेशन दिनांक 15.12.2022 को अपराह 4.00 बजे उपस्थित कोटेशन प्रस्तुतकर्ता के समक्ष खोले जावेंगे :-

स. क	सामग्री का नाम	मात्रा
1	कम्प्युटर के सी.पी.यू.	02 नग
2	कलर प्रिंटर	02 नग
3	ब्लैक एण्ड व्हाइट सेमसंग प्रिंटर	03 नग
4	एच.पी. लेजर ब्लैक एण्ड व्हाइट प्रिंटर	12 नग
5	फोटोकॉपी छोटी मशीन	01 नग
6	इलेक्ट्रानिक सामग्री का कबाड़ा	
7	कैसिड ए.सी. इनडोर	02 नग
8	कॉट्रेज	20 नग
9	टेलीफोन इन्स्ट्रुमेन्ट	
10	लोहे का कबाड़ा	
11	प्लॉटर प्रिंटर	01 नग
12	स्कैनर	01 नग
13	की बोर्ड	07 नग
14	इन्वेटर स्विचर	02 नग
15	एकजस्ट फैन	01 नग
16	लैपटॉप	03 नग
17	प्लास्टिक सामग्री का कबाड़ा	
18	स्पीकर सेट	01
19	स्पीकर आहूजा	01
20	वॉल घड़ी	04
21	आहूजा माईक	01
22	Extron scaling Presentation switcher in 1606	01
23	वर्टिकल पर्दे एवं रॉड	15
24	व्हील चेयर	05
25	प्लास्टिक चेयर	02
26	केन चेयर	01
27	एसी आउटडोर	01
28	स्टील अलमीरा	03
29	किताब के टुकड़े	01 क्विंटल
30	विटीटल चेयर	02

1. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2. उक्त सामग्री की प्राप्त दरों को पूणतः अथवा अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
3. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. विक्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है।
5. सामग्री जहाँ जैसी है, स्थिति में क्रेता को प्राधिकरण कार्यालय से लेकर जाना होगा।
6. तालिका में अंकित मात्राएँ अनुमानित है। प्रदाय/ भुगतान वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जावेगा।
7. कोटेशन प्रदाय कर्ता के पास ई-वेस्ट सामग्री क्रय करने संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अधिसूचित/अधिकृत संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
8. उपरोक्त सामग्रियों की दर स्वीकृत होने पर कायदेश 01 वर्ष तक प्रभावशील होगी।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 7/12/2022

17/97
पृ0क. /22/वि-12/ग्रासविप्रा./2022
प्रतिलिपि :-

आईटी शाखा शाखा को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

भोपाल (म.प्र.)